भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।

संख्या /खन्न/आशयपत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2014–15 दिनांक 15 अप्रैल 2015

कार्यालय ज्ञांप
आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड खनिज नीति 2011 के बिन्दु–2 के प्रस्तर–1 के अनुसार राज्य के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खन्न पट्टे वन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र–एम0एम0–1 में आवेदन करने के उपरान्त 05 वर्ष हेतु स्वीकृत किये जाने का प्राविधान के दृष्टिगत वन क्षेत्र के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिजों के चुगान का खनन पट्टा चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में इस आशय पत्र (Letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार आवेदक प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में उनके द्वारा जनपद देहरादून के सौंग नदी, भोपालपानी कक्ष संख्या–08 उपखनिज लॉटा जिसका विवरण तालिका–1 में निम्नवत उल्लिखित है, को 05 वर्ष (पॉच वर्ष) की अवधि हेतु उपखनिज चुगान हेतु खनन पट्टा पर स्वीकृत करने की मंशा रखती है:–

तालिका:–1

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	सौंग नदी, भोपालपानी कक्ष संख्या–08	64.00

आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम यदि उपरोक्त तालिका में उल्लिखित लॉट में उपखनिज चुगान का खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हो तो शासनादेश सं0 922/VII-I/11–रिट/2012, दिनांक 26 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशानुसार E.I.A Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य वांछित स्वीकृतियां प्राप्त कर सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि नियमानुसार खनन पट्टा स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक

संख्या 100 /खन्न/आशयपत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2014–15 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि E.I.A Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक

997 23/4/15